तारीख हुक्म	**जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **दीवानी विविध प्रकरण संख्या 112/2020** **महेन्द्र कुमार व अन्य बनाम कृष्णा बाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांकः- **24.02.2026**

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।

प्रार्थीगण कृष्णा बाई, गोविंद सुमन एवं लक्ष्मी सुमन (डिफेंडेंट संख्या 1 लगायत 3) की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक **08.10.2025** को वास्ते एकपक्षीय कार्यवाही सेट असाईड किये जाने हेतु प्रस्तुत किया, जिसका जवाब अप्रार्थी महेन्द्र सुमन (प्लेंटिफ) की ओर से पेश किया गया।

प्रार्थीगण कृष्णा बाई, गोविंद सुमन एवं लक्ष्मी सुमन (डिफेंडेंट संख्या 1 लगायत 3) की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोविंद सिंह एडवोकेट नियुक्त चले आ रहे थे, जो मुकदमें को कन्टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर सूचना करने को कहा। प्रकरण में पूर्व में जनवरी **2024** में एवं तारीख पेशी **02.03.2024** को होली के अवसर पर प्रार्थीगण अपने गांव खेतीबाड़ी के लिए झालावाड़ गये हुए थे, जिसकी सूचना प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता को नहीं दी और वकील साहब भी किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके, इस कारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज कर दिनांक **02.03.2024** को एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गयी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का सूचना नही आनें पर एंव प्रार्थीगण के द्वारा कोटा आने पर अपने वकील साहब से सम्पर्क कर जानकारी चाही तो उन्होनें मुकदमें में जानकारी होने से एवं पैरवी करने से इंकार कर दिया। इस पर प्रार्थीगण की और से दिनांक **09.09.2025** को आवेदन पेश कर नकल दिनांक **17.09.2025** को प्राप्त करने पर प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जानकारी होने पर यह आवेदन नये वकील साहब नियुक्त कर पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण इस प्रकरण को कन्टेस्ट कर माननीय न्यायालय से न्याय प्राप्त करेगें, इस कारण प्रार्थीगण के विरूद्ध की गयी एक पक्षीय कार्यवाही सेटेसाइड किया जाना न्यायोचित होगा। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में गत नियत तारीख पेशी पर प्रार्थीगण की अनुपस्थिति सद्भाविक एवं क्षम्य योग्य होने से प्रार्थीगण के विरूद्ध की गयी एकपक्षीय कार्यवाही सेटअसाईड फरमायी जावे।

तारीख हुक्म	**जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **दीवानी विविध प्रकरण संख्या 112/2020** **महेन्द्र कुमार व अन्य बनाम कृष्णा बाई व अन्य**	नम्बर व ता. अहकाम जो इस की तामील में जारी हुए

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें भी प्रार्थीगण अपने मूल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए खेती बाड़ी व मजदूरी के लिए झालावाड़ जाने के कारण अधिवक्ता को सूचना नहीं दे पाने और न्यायालय में तारीख पेशी **02.03.2024** को अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता का सूचना नही आनें पर एंव प्रार्थीगण के द्वारा कोटा आने पर अपने वकील साहब से सम्पर्क कर जानकारी चाही तो उन्होनें मुकदमें में जानकारी होने से एवं पैरवी करने से इंकार कर दिया। इस पर प्रार्थीगण की और से दिनांक **09.09.2025** को आवेदन पेश कर नकल दिनांक **17.09.2025** को प्राप्त करने पर प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जानकारी होने पर यह आवेदन नये वकील साहब नियुक्त कर पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण इस प्रकरण को कन्टेस्ट कर माननीय न्यायालय से न्याय प्राप्त करेगें, इस कारण प्रार्थीगण के विरूद्ध की गयी एक पक्षीय कार्यवाही सेटेसाइड किया जाना न्यायोचित होगा। अंत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक **02.03.2024** से **08.10.2025** तक हुई देरी को क्षमा किये जाने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के चरण कम-1 में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता की ओर से अविधक्ता नियमित रूप से नियुक्त चले आ रहे थे जो कि प्रकरण को कन्टेस्ट कर रहे थे जिनके द्वारा आवश्यकता पडने पर सूचना करने को कहा हो इस आशय का अधिवक्ता की ओर से कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिये उक्त तथ्य बनावटी प्रकट किये गये है प्रार्थीगण के अधिवक्ता की जानकारी मे उक्त प्रकरण प्रारम्भ से प्रतिदिन की डायरी में अंकित रखते रहे थे और प्रत्येक पेशी पर जानकारी लेते रहे है। जनवरी **2024** मे एवं तारीख पेशी **02/03/24** को होली के अवसर पर प्रार्थीगण अपने गाँव खेती बाडी मजदूरी के लिये झालावाड गये हुये हो इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है एवं गलत तथ्य प्रकट किये गये है प्रार्थीगण के पास कौनसी खसरा नं. की जमीन है जिसमे खेती करने गये हो ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया हैं एवं जिसकी सूचना प्रार्थीगण द्वारा अपने वकील साहब हो नही दे सके हो और वकील साहब किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से कारण उपस्थित नही हो सके हो इस प्रकार के आशय के सम्बन्ध में भी कोई पूर्व वकील सा. का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता जानबूझ कर उपस्थित नही आ रहे थे इसी वजह से पूर्व में भी दिनांक **11.01.2022** को भी एकतरफा कार्यवाही के सेट असाईड करने के आदेश प्रदान किये गये जिसमे न्यायालय द्वारा कोस्ट अधिरोपित की गई थी उक्त कोस्ट भी अदा नही की गई एवं पुनः एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई

तारीख हुक्म	**जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **दीवानी विविध प्रकरण संख्या 112/2020** **महेन्द्र कुमार व अन्य बनाम कृष्णा बाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गई प्रार्थीगण के अधिवक्ता जानबूझकर प्रकरण को लम्बा करने की वजह से उपस्थित नही होकर एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई है। प्रार्थना पत्र के चरण कम-3 में वर्णित तथ्य असत्य बनावटी झूठे प्रकट किये जाने से स्वीकार योग्य नहीं हैं तथा अधिवक्ता महोदय द्वारा पैरवी करने से इन्कार किया हो इस सम्बन्ध में कोई शपथ पत्र एवं एनओसी तक प्रस्तुत नही की गई हैं इसलिये उक्त तथ्यो पर आधारित एकतरफा कार्यवाही सेट असाईड कतई किये जाने योग्य नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र 10,000/- व्यय सहित खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण आवश्यक है। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं को खेतीबाड़ी के लिए मजदूरी हेतु झालावाड़ जाने का कथन किया गया है जिसकी सूचना अपने अधिवक्ता को नहीं दिये जाने तथा उनके अधिवक्ता द्वारा अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से न्यायालय हाजा में तारीख पेशी दिनांक 02.03.2024 को उपस्थित नहीं होना तथा प्रकरण की जानकारी कर एकपक्षीय कार्यवी के संबंध में नये अधिवक्ता को नियुक्त किये जाने का कथन किया है। प्रार्थीगण की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को सद्भाविक मानते हुए क्षम्य किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है।

अब जहां तक प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय कार्यवाही को सेट असाईड किये जाने के प्रार्थना पत्र का संबंध है तो यह सही है कि पूर्व में अनुपस्थित रहने के परिणामस्वरूप दिनांक 02.08.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध की गयी एकपक्षीय कार्यवाही को सेट असार्अड किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध हुई एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 02.03.2024 के पश्चात 4 गवाहों के शपथ पत्र पेश हो चुके है। चूंकि हस्तगत प्रकरण धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहने हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थीगण की ओर से वसीयत के आधार पर यह उत्तराधिकार प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः मेरे विनम्र मत में प्रार्थीगण कृष्णा बाई, गोविंद सुमन एवं लक्ष्मी सुमन (डिफैंडेंट संख्या 1 लगायत 3) की ओर से जो कारण अभिव्यक्त किये गये है कि वे खेतीबाड़ी/मजदूरी के लिए चले गये थे तथा अपने अधिवक्ता को सूचित नहीं कर सके थे, पर्याप्त कारण प्रतीत होते हैं। जहां तक 4 गवाहों के शपथ पत्र प्रस्तुत होने के परिणामस्वरूप प्रकरण के निस्तारण में जो विलम्ब कारित हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति 1000/- रूपये कोस्ट पर किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलतः न्यायहित में प्रार्थीगण कृष्णा बाई,

तारीख हुक्म	**जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **दीवानी विविध प्रकरण संख्या 112/2020** **महेन्द्र कुमार व अन्य बनाम कृष्णा बाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो ईस हुक्म की तामील में जारी हुए

गोविंद सुमन एवं लक्ष्मी सुमन (डिफेंडेंट संख्या 1 लगायत 3) की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक **08.10.2025** वास्ते एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक **23.02.2024** को सेट असाईड किये जाने **1000/-** रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण कृष्णा बाई, गोविंद सुमन एवं लक्ष्मी सुमन (डिफेंडेंट संख्या 1 लगायत 3) के विरूद्ध दिनांक **02.03.2024** को की गयी एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किया जाता है, कोस्ट की राशि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थी को अदा करेंगे जो कि प्रार्थना पत्र सेटअसाईड स्वीकार करने हेतु पूर्ववर्ती शर्त होगी।

पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 हेतु दिनांक ...27/2/26... को पेश हो। [illegible] [illegible] आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से जवाब पेश करें अन्यथा [illegible] 27/2/26 [illegible]

जिला न्यायाधीश
कोटा (राज.)